PCS मंत्र

पीसीएस/यूपीएससी परीक्षा-उन्मुख समसामयिकी

AIF/FPI लाभार्थियों का खुलासा: माहुआ मोइत्रा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निस्तारण

समाचार-संदर्भ: 29 अक्टूबर 2026 (सुप्रीम कोर्ट का आदेश)

प्रकाशन: 1 नवंबर 2026

मुख्य परीक्षा: GS-II शासन — पारदर्शिता बनाम निवेशक-गोपनीयता; SEBI की विनियामक सीमा।

प्रिलिम्स: AIF/FPI विनियमन, SEBI ढाँचा, पारदर्शिता-विवाद की सीमाएँ।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

29 अक्टूबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका का निपटान कर दिया, जिसमें वैकल्पिक निवेश निधियों (AIF) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) तथा उनके मध्यस्थों के वास्तविक लाभार्थी मालिकों (ultimate beneficial owners) और पोर्टफोलियो होल्डिंग का सार्वजनिक खुलासा कराने की माँग की गई थी। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना, न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति डी.के. उपाध्याय की पीठ ने कहा कि ऐसे खुलासे को अनिवार्य करने वाला कोई विधिक या नियामकीय ढाँचा मौजूद नहीं है, और उसके अभाव में अदालत SEBI को निर्देश (mandamus) जारी नहीं कर सकती। पीठ ने कहा, "यदि कोई विधिक व्यवस्था होती और SEBI उसका पालन नहीं कर रहा होता, तो अदालत अनुपालन का निर्देश दे सकती थी; लेकिन किसी ढाँचे के अभाव में अदालत mandamus जारी नहीं कर सकती।"

PCSMANTRA.COM

मामले की पृष्ठभूमि

याचिका के अनुसार AIF की प्रबंधित परिसंपत्तियाँ (AUM) वित्तवर्ष 2013 के अंत में ₹1,437 करोड़ से बढ़कर दिसंबर 2024 तक ₹13 लाख करोड़ हो गईं — तीन सौ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि। पंजीकृत FPI की अभिरक्षित (custody) परिसंपत्तियाँ 31 जुलाई 2025 तक ₹78.6 लाख करोड़ से अधिक थीं, जबकि म्यूचुअल फंड ₹75 लाख करोड़ से अधिक। याचिका में कहा गया कि सार्वजनिक खुलासे के अभाव में छोटे निवेशकों में धोखे से शेयर-कीमतें बढ़ाने जैसी जोखिम-पूर्ण गतिविधियों के प्रति

जागरूकता नहीं बन पाती। याचिकाकर्ता ने पहले SEBI को अभ्यावेदन भेजा था, जिसका उत्तर 19 सितंबर 2025 को दिया गया।

SEBI का पक्ष रहा कि धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 और संबंधित नियमों के तहत 10 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व, नियंत्रण या आर्थिक हित वाले लाभार्थी मालिकों की पहचान सभी रिपोर्टिंग इकाइयों के लिए अनिवार्य है; SEBI और प्रवर्तन एजेंसियों के पास दोनों तरह की निधियों के लाभार्थी-स्वामित्व और पोर्टफोलियो की जानकारी पहुँचती है, लेकिन AIF विनियम, 2012 और FPI विनियम, 2019 इकाई-वार निवेश का सार्वजनिक खुलासा अनिवार्य नहीं करते।

अदालत के प्रमुख अवलोकन

ढाँचे के अभाव में निर्देश असंभव: पीठ ने अनुच्छेद 32 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से इनकार किया, कहा — जहाँ खुलासे का कोई विधिक-नियामकीय ढाँचा नहीं, वहाँ अदालत उसे अनिवार्य नहीं कर सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस आदेश से केंद्र या SEBI को भविष्य में ऐसी नीति बनाने से कोई रोक नहीं लगती।

संसद का रास्ता: पीठ ने सवाल उठाया कि याचिकाकर्ता यह मुद्दा संसद में उठाकर चर्चा क्यों नहीं करतीं।

चुनावी सुधार का उदाहरण अलग: याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि अदालत ने अतीत में — जब कोई विधिक आवश्यकता नहीं थी — उम्मीदवारों से आपराधिक पृष्ठभूमि, शिक्षा और संपत्ति का खुलासा निर्वाचन आयोग द्वारा अनिवार्य कराया था। पीठ ने कहा, "वह चुनावी सुधार था; उसकी तुलना इस मामले से नहीं की जा सकती।" पीठ ने यह भी जोड़ा कि अंततः ऐसा ढाँचा बनाना भारत सरकार और SEBI का काम है।

परीक्षा दृष्टिकोण: पारदर्शिता बनाम निवेशक-गोपनीयता

पूंजी-बाज़ार में सार्वजनिक खुलासे की माँग और वैश्विक मानकों के अनुरूप निवेशक-गोपनीयता के बीच संतुलन इस मामले का केंद्र है। PMLA के तहत लाभार्थी-पहचान नियामक को उपलब्ध है, किंतु सार्वजनिक नहीं। नीति-निर्माण का दायित्व अधिनियम बनाने वाले विधायिका और विनियम बनाने वाले नियामक पर है; अदालती हस्तक्षेप की सीमा यहीं खिंचती है — यह न्यायिक संयम और शक्ति-पृथक्करण का व्यावहारिक उदाहरण है।

प्रिलिम्स-बिंदु: AIF — SEBI (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012; FPI — SEBI (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019; पीठ — न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना, आर. महादेवन, डी.के. उपाध्याय; PMLA लाभार्थी-पहचान सीमा — 10 प्रतिशत।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. "पूंजी-बाज़ार में पारदर्शिता की माँग और निवेशक-गोपनीयता की ज़रूरत के बीच संतुलन नियामकीय ढाँचे से ही तय होना चाहिए, अदालती आदेश से नहीं।" हालिया सर्वोच्च न्यायालय निपटान के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में लिखिए। 15 अंक)

PCSMANTRA.COM

भूमिका में

29 अक्टूबर 2026 का निपटान और माँग का सार — AIF/FPI के लाभार्थी मालिकों का सार्वजनिक खुलासा।

मुख्य भाग में

पारदर्शिता-पक्ष: बाज़ार में ₹100 लाख करोड़ से अधिक की हिस्सेदारी, छोटे निवेशकों की सुरक्षा, धोखाधड़ी-जोखिम।
गोपनीयता/न्यायिक-संयम-पक्ष: विधिक ढाँचे के अभाव में mandamus असंभव; PMLA के तहत 10 प्रतिशत सीमा पर

पहचान नियामक के पास उपलब्ध; वैश्विक मानकों के अनुरूप गोपनीयता; ढाँचा बनाना सरकार/SEBI का कार्य (अदालत ने नीति-निर्माण को न रोका)। शक्ति-पृथक्करण और चुनावी-सुधार उदाहरण का अंतर।

निष्कर्ष में

संस्थागत मार्ग — विधायी/नियामकीय सुधार — ही टिकाऊ; अदालतें रिक्ति भर सकती हैं, ढाँचा नहीं बना सकतीं।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. पूंजी-बाज़ार नियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I: वैकल्पिक निवेश निधियों (AIF) का विनियमन SEBI (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 के अंतर्गत होता है।
कथन-II: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) का विनियमन SEBI (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 के अंतर्गत होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं

(b) कथन-I सही है, किंतु कथन-II सही नहीं है

(c) कथन-I सही नहीं है, किंतु कथन-II सही है

(d) कथन-I और कथन-II दोनों सही नहीं हैं

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं। AIF का विनियमन SEBI (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 और FPI का विनियमन SEBI (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 के अंतर्गत होता है; ये दोनों क्रमशः 2012 और 2019 के अधिसूचित विनियम हैं।

प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक खुलासे को अनिवार्य करने वाले विधिक ढाँचे के अभाव का हवाला देते हुए याचिका का निपटान किया।
2. अदालत के आदेश से SEBI भविष्य में खुलासा-नीति बनाने से वंचित हो गया है।
3. याचिका में AIF और FPI के वास्तविक लाभार्थी मालिकों का सार्वजनिक खुलासा माँगा गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

PCSMANTRA.COM

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) केवल 1 और 3। पीठ ने विधिक/नियामकीय ढाँचे के अभाव में mandamus असंभव बताते हुए याचिका का निपटान किया (कथन 1 सही)। अदालत ने स्पष्ट किया कि आदेश केंद्र या SEBI को भविष्य में ऐसी नीति बनाने से नहीं रोकता (कथन 2 गलत)। याचिका AIF/FPI और उनके मध्यस्थों के वास्तविक लाभार्थी मालिकों व पोर्टफोलियो होल्डिंग के सार्वजनिक खुलासे की माँग करती थी (कथन 3 सही)।

स्रोत

1. टाइम्स ऑफ इंडिया: "SC disposes of Mahua Moitra's plea seeking public disclosure of AIF, FPI beneficiaries" (29 अक्टूबर 2026)
2. बिज़नेस स्टैंडर्ड: "SC disposes of Mahua Moitra's plea on disclosure of AIF, FPI owners" (29 अक्टूबर 2026)
3. हिंदुस्तान टाइम्स: "Supreme Court rejects Mahua Moitra's plea on AIF-FPI ownership disclosure" (30 अक्टूबर 2026)। पीठ के उद्धरण और याचिका के आँकड़े।
4. PTI: "SC disposes of Mahua Moitra's plea for public disclosure of ultimate beneficial owners of AIFs, FPIs" (29 अक्टूबर 2026)
5. SEBI (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 और SEBI (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 — sebi.gov.in पर अधिसूचित पाठ।

टिप्पणी: यह निपटान सुनवाई में कहे गए निष्कर्षों पर आधारित है; लिखित आदेश प्रकाशित होने पर आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

PCSMANTRA.COM